न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 9/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश पुत्र काल्या
2–सन्तीबाई पुत्री काल्या
3–हेमबाई बेवा काल्या
4–तुलसी पुत्री मोतीलाल जाति जाट निवासीगण फतेहपुर तहसील बारां

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री असलम भारती, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 09.02.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है0 किस्म नहरी बारानी II वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात के सेटलमेंट संवत् 2015–24 में साबिक खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला रहे है। खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है0 आराजी सम्वत् 2064–67 जमाबन्दी में खातेदार ओमप्रकाश पुत्र काल्या, सन्तीबाई पुत्री काल्या, हेमबाई बेवा काल्या, तुलसी पुत्री मोतीलाल कौम जाट सा0 देह के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2015–24 में गै0मु0 नाला दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:32 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 14.09.2015 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 वाके माल फतेहपुर तहसील बारां प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त आराजी समतल है और नहर से सिंचाई होती है उक्त आराजी बाबत सरकार द्वारा आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सर्वथा गलत है। उक्त आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। प्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नहीं है और कोई आय का साधन नहीं है। प्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त करके अपना जीवन यापन कर रहे है। उक्त आवंटन यदि निरस्त कर दिया गया तो प्रार्थीगण को भारी क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को ग्राम फतेहपुर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गैर मु0 नाला भूमि आवंटन/नियमन हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 नाला थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी बारानी II दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे [illegible] आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता न [illegible] सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है [illegible] डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम [illegible] में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 [illegible]नुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 वाके माल फतेहपुर तहसील बारां में अवस्थित है जो प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की है उक्त आराजी अप्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त आराजी समतल एवं नहर से सिंचित है। उक्त आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 45 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवंटन/नियमन हुआ है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मु0 नाला खाता सरकार दर्ज है जिसे मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी बारानी II बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:32 IST
Reason: SelfAttested

8– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को आवंटन/नियमन आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2015–24 में खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मु0 नाला खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 खसरा नं0 2107

रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी बारानी II बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. नाला दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी बारानी II, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला से बना है जिसका मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नं0 2107 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2108 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2109 रकबा 0.09 है0 किता 3 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी बारानी II वाके ग्राम फतेहपुर तहसील—बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 09.02.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां